न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

1. भंवरलाल पुत्र किशनलाल
2. देवकरण पुत्र भंवरलाल
3. धोलू पुत्र भंवरलाल समस्त जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक राजस्थान

....अपीलांटस

बनाम

राजस्थान सरकार जरीये नायब तहसीलदार बनेठा जिला टोंक राज0

....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल0आर0एक्ट विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार बनेठा मिसल नं 1271/2018 दिनांक 13.12.2018 व जिला कलेक्टर टोंक मिसल नं 1/2019 दिनांक 07.03.2019

उपस्थित अभिभाषकः—श्री राजकुमार मीणा(अपीलांट अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

निर्णय दिनांकः—20.05.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बनेठा तहसील उनियारा के खसरा नम्बर 3534 रकबा 0.05 हे0 और खसरा नम्बर 3548 रकबा 0.20 हे0 किस्म गैर मुमकिन नाला पर अपीलांट को पश्चातवृति अतिक्रमी मानते हुए नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा 3 माह के सिविल कारावास व लगान के 50 गुना अर्द्ध दण्ड से दण्डित करने का आदेश दिनांक 13.12.2018 को एल0आर0 एक्ट की धारा 91 के तहत सुनवाई करते हुए निर्णय दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर टोंक के यहां प्रथम अपील दायर की थी। मगर उनके द्वारा भी सुनवाई के पश्चात नायब तहसीलदार बनेठा के आदेश को यथावत रखा गया। जिला कलक्टर टोंक द्वारा यह निर्णय दिनांक 07.03.2021 को देते हुए अपीलांट की प्रथम अपील खारिज कर दी गई। उक्त द्वितीय अपील अपीलांट द्वारा निम्न आधार पर दायर किया जाना बताया है—

1. उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।
2. विवादित खसरा नम्बर पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। नाले की भूमि को अपनी खातेदारी भूमि में नहीं मिलाया है तथा वह की खातेदारी में ही काबिज है। पटवारी मौके पर नहीं गया।
3. दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने अतिक्रमण के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। उनका निर्णय स्पिकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:41 IST
Reason: Self Attested

4. पूर्ववर्ष के अतिक्रमण हटाने की बात बाबत आवश्यक सूचनाऐं निर्णय में नहीं दी गई है।

5. जिला कलक्टर टोंक न्यायालय में निर्णय से पूर्व दिनांक 25.02.2019 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया था कि उनका वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। मगर निर्णय में जिला कलक्टर टोंक द्वारा उक्त शपथ पत्र बाबत कोई उल्लेख नहीं किया है।

अतः अपील स्वीकार करते हुए नायब तहसीलदार बनेठा एवं जिला कलक्टर टोंक के अपीलाधीन आदेश को सजा की हद तक निरस्त किया जायें। अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त अपील के साथ नायब तहसीलदार बनेठा का निर्णय दिनांक 13.12.2018 जिला कलक्टर टोंक का निर्णय दिनांक 07.03.2019 तथा मौका रिपोर्ट द्वारा नायब तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 22.07.2019 , 27.07.2019 प्रस्तुत की है।

उक्त अपील आरएए टोंक के यहां से राज्य सरकार द्वारा इस न्यायालय को क्षैत्राधिकार दिये जाने से प्राप्त हुई है। उक्त अपील पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय की निर्णित पत्रावलीयां भी प्राप्त हुई है।

वकील अपीलांट तथा राजकीय अभि0 की उपस्थिति में बहस सुनी गई, बहस में वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि पर हमारा कोई कब्जा नहीं है। हम पश्चातवृति अतिक्रमी नहीं है। नोटिस प्रत्येक व्यक्ति को अलग–अलग तामील करवाया जाना था। मगर संयुक्त रूप से नोटिस जारी करवाना था। द्वितीय नोटिस में भौरू के नाम से नोटिस जारी हुआ है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना की गई है। ना समय दिया, ना अवसर दिया और ना ही नोटिस में तिथि का अंकन किया हुआ है।

बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 22.10.2018 का अवलोकन किया गया। उक्त नोटिस सभी अपीलांट के नाम संयुक्त रूप से जारी किया गया है। उक्त नोटिस की पुश्त पर देवराज अंकित है और किसी लाल के द्वारा साईन किये हुए पाया गया। प्रथम नोटिस जो जारी किया गया था वह भी संयुक्त रूप से जारी किया हुआ पाया गया, जो कि गलत है। नायब तहसीलदार के निर्णित आदेश 13.12.2018 का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय में पश्चातवृति अतिक्रमण बाबत कोई पूर्व पत्रावली अपील के साथ संलग्न नहीं है, ना ही निर्णय में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के खसरा नम्बर रकबा किस्म बेदखली दिनांक बाबत कोई हवाला दिया है। जिला कलक्टर टोंक ने भी अपने निर्णय दिनांक 07.03.2019 में पश्चातवृति अतिक्रमण बाबत कोई तथ्य विश्लेषित नहीं किये है। आरएए टोंक द्वारा अपील पत्रावली के साथ नायब तहसीलदार आरएए टोंक को प्रेषित दो पत्र दिनांक 22.07.2019 और 27.07.2019 संलग्न प्राप्त हुए है। दिनांक 22.07.2019 के पत्र के साथ जांच मौका रिपोर्ट 1[illegible].07.2019 लगी हुई है। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 3534 रकबा 0.05 हे0 व खसरा नम्बर 3548 रकबा 0.20 हे0 संवत 2076 (भंवरलाल गुर्जर द्वारा कब्जा की हुई है।) , अन्य मौका रिपोर्ट दिनांक 27.07.2019 जिसमें नायब तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका देखा गया है। उन्होनें अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:41 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट में पूर्व रिपोर्ट 17.07.2019 को दौहराया। मगर अतिक्रमी के रूप में तीनों अपीलांट का नाम दर्ज है। उक्त पत्र के साथ कोई मौका रिपोर्ट संलग्न नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, यह बात सही है कि नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा अतिक्रमीयों(अपीलांटस) को जो नोटिस धारा 91 में कार्यवाही भेजे गये थे वह संयुक्त रूप से ही जारी किये गये। साथ ही अपने निर्णय में अतिक्रमी किस प्रकार से पश्चातवृति अतिक्रमी है इसका खुलासा अच्छे से नहीं किया गया है। इसी कमी को जिला कलक्टर टोंक द्वारा भी नहीं देखा गया। उक्त आक्षेप अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को उठाने चाहिए थे। मगर आरएए न्यायालय टोंक से प्राप्त पत्रावली के साथ संलग्न मौका रिपोर्ट 17.07.2019 से स्पष्ट है कि भंवरलाल द्वारा संवत 2076 में भी अतिक्रमण किया गया। मगर नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा ही अपने अन्य पत्र दिनांक 27.07.2019 में भंवरलाल के अलावा दो अन्य अपीलांट के नाम भी दर्ज किये है। मगर पत्र के साथ कोई मौका रिपोर्ट संलग्न नहीं है। उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि अपीलांटस द्वारा संवत 2076 में भी विवादित खसरा नम्बरान पर जो कि गैर मुमकिन नाला है की भूमि पर अतिक्रमण किया होना नायब तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 22.07.2019 और 27.07.2019 में बताया गया है। अतः न्यायालय का यह मानना है कि नायब तहसीलदार बनेठा का निर्णय दिनांक 13.12.2018 तथा जिला कलक्टर टोंक का निर्णय दिनांक 07.03.2019 यथावत रखे जाने योग्य है। अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.12.2018 द्वारा नायब तहसीलदार बनेठा (प्रकरण संख्या 1271/2018) एवं विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.03.2019 जिला कलक्टर टोंक (प्रकरण संख्या 1/2019) सारहीन होने से खारिज की जाती है। जिला कलक्टर टोंक का निर्णय दिनांक 07.03.2019 यथावत रखा जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 20.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:41 IST
Reason: SelfAttested